

कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) बैतूल (म0प्र0)

क्रमांक 7 अ-82/19-20/देवलवाड़ा/6652 बैतूल दिनांक 21-जुलाई 2020
ईशतहार 22

म0प्र0शासन, राजस्व विभाग, भोपाल द्वारा जारी कय नीति के अन्तर्गत आवेदक विभाग कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 बैतूल जिला बैतूल (म0प्र0) द्वारा पूर्णा जलाशय के पहुंच मार्ग हेतु भूमि की आवश्यकता होने के कारण ग्राम देवलवाड़ा प0ह0न0 82 तहसील भैसदेही जिला बैतूल के निम्नानुसार खसरा नम्बरो की भूमि आपसी सहमति के आधार पर क्रय करने के प्रस्ताव पेश किए गए है :-

अ0क्र0	खसरा नम्बर	रकबा हे0 में	आवेदक द्वारा कय जाने वाला हे0 में	विभाग कय किया रकबा	धारक का नाम
1	2	3	4	5	
1	100/1	1.704	0.056		सुडक्या व0 तुकाहरि निवासी पोहर
2	100/2	1.704	0.036		उमराव व0 तुकाहरि निवासी पोहर
3	104	2.468	0.050		देवराव व0 पांड्या जाति कुन्बी निवासी पोहर
4	101	2.170	0.050		गोदावरी पुत्री गोना जाति कुन्बी पोहर
5	92/3	1.577	0.193		नामदेव व0 तुलसीराम जाति कुन्बी सा0 घोघामा
6	92/1	1.997	0.318		ज्ञानदेव पिता तुलसीराम जाति कुन्बी सा0 घोघामा
7	75/9	0.304	0.304		उर्मिला पति पंजाबराव जाति कुन्बी सा0 पोहर
	75/16	0.303	0.303		
योग	08	12.227	1.310		

अतएव आवेदक जल संसाधन विभाग द्वारा ग्राम देवलवाड़ा तहसील भैसदेही के उपरोक्तानुसार खसरा नम्बरो की कुल 1.310 हे0 भूमि आपसी सहमति से कय करने के सम्बंध में किसी भी पक्षकार या किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो ईशतहार के प्रकाशन होने की तारीख से 15 दिवस की अवधि में आपत्ति स्वयं या अपने अधिवक्ता या अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी भैसदेही के समक्ष प्रस्तुत कर सकते है। नियत समयावधि के बाद प्राप्त किसी भी आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 21-7-2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से जारी ।



21/7/2020
(राकेश सिंह)
कलेक्टर,
बैतूल

पृ०क० 7 अ-82/वर्ष 19-20/देवलवाड़ा/6652 बैतूल दिनांक 21-07-2020
प्रतिलिपि:-

- 1- संचालक, जनसम्पर्क संचालनालय, विज्ञापन शाखा बानगंगा चौराह के पास, भोपाल को सूचनार्थ (पांच प्रतियों में) अग्रेषित। कृपया उक्त ईशतहार का प्रकाशन एक प्रादेशिक दैनिक एवं एक स्थानीय दैनिक समाचार पत्र में कर इस कार्यालय को समाचार पत्रों की प्रति भी भेजने का कष्ट करें।
- 2- कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 बैतूल को सूचनार्थ अग्रेषित। ईशतहार का प्रकाशन एक स्थानीय पेपर में कराया जाकर प्रकाशित समाचार पत्र की एक प्रति इस कार्यालय को भेजी जावे। साथ ही कार्यालयीन सूचना पटल पर चस्पा करवाया जाकर पालन प्रतिवेदन तत्काल प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।
- 3- जिला सूचना विज्ञान अधिकारी बैतूल (एन आई सी) की ओर समूचित सरकार की वेबसाईट www.betul.nic.in पर अपलोड किए जाने हेतु अग्रेषित ।
- 4- प्रभारी अधिकारी (नजारत शाखा) कलेक्टर कार्यालय बैतूल की ओर (दो प्रतियों में) अग्रेषित। एक प्रति कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करवाएं तथा एक प्रति में पालन प्रतिवेदन भेजने हेतु ।
- 5- अनुविभागीय अधिकारी (राजस्य) भैसदेही की ओर (दो प्रतियों में) अग्रेषित। एक प्रति कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करवाएं तथा एक प्रति में पालन तत्काल भेजना सुनिश्चित करें।
- 6- तहसीलदार भैसदेही की ओर (तीन प्रतियों में) में अग्रेषित । एक प्रति तहसील कार्यालय में तथा एक प्रति क्रय की जाने वाली भूमि के प्रस्तावित स्थल पर चस्पा करावे एवं एक प्रति में पालन प्रतिवेदन तत्काल भेजना सुनिश्चित करें।
- 7- जिला जनसम्पर्क अधिकारी, बैतूल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित। प्रकाशित विज्ञापन की प्रति कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) बैतूल को उपलब्ध करावें।
- 8- सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत काटोल तहसील भैसदेही जिला बैतूल (म०प्र०) की ओर ईशतहार का उक्त प्रकाशन ग्राम पंचायत के सूचना पटल पर करवाने हेतु अग्रेषित ।

अपर कलेक्टर एवं
प्र०अ०भू-अर्जन बैतूल

2

28/07/2020